रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 1988/आषाढ़ 14, 1910
No. 353] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 1988/ASADHA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1988

का.आ. 676(अ).—संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ सतानवेवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उपशीर्षक में,—

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"5. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से संबद्ध है :—

(क) कृषि उद्योगों (मशीनरी, उर्वरक, बीज और पशु खाद्य सहित) का इस परिसीमा के साथ कि कृषि उद्योगों (मशीनरी और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।

(ख) शल्क खाद्य उद्योग।";

(ii) प्रविष्टि 7 का लोप किया जाएगा।

(ख) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. खाद्य विभाग" उपशीर्षक में प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध खांडसारी उद्योग (जिसके अन्तर्गत गुड़ और खांडसारी आते हैं) से है।";

(ग) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :—

"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक, जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध है—

(क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध, चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद) कुक्कुट और अंडे, मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन;

(ख) मछलियों का संसाधन (जिसके अन्तर्गत डिब्बों में बन्द करना और हिमीकरण भी सम्मिलित है);

(ग) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबंध व्यवस्था;

(घ) मत्स्य संसाधन उद्योगों को तकनीकी सहायता और सलाह;"

(ङ) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिसके अन्तर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण आते हैं); और

(च) खाद्यान्न पिसाई उद्योग।

2. राज्य क्षेत्रीय समुद्र में परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत न गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का स्थान बम्बई है)।

3. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जो डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाद्य), नाश्ते के आहार बिस्कुट, मिष्ठान (जिसके अन्तर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी आता है), माल्टसार पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तनय त्याग आहार और उत्सारित (एक्सट्रूडेड) खाद्य, उत्पाद (जिसके अन्तर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार आते हैं) से संबंधित है।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिंग;

5. बियर जिसके अन्तर्गत अनएल्कोहाली बियर भी है।

6. ऐसे एल्कोहाली पेय जिनका आधार शीरे पर न हो।

7 वायु मिश्रित जल/गुलाब पेय।";

(ब) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(1) "क. औद्योगिक विकास विभाग" उपशीर्षक में प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. सभी उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जिनमें किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते।";

(2) "ग. रसायन और पट्रो रसायन विभाग" उपशीर्षक में प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"एल्कोहल—औद्योगिक और पेय (ऐसे एल्कोहाली पेय को छोड़ कर जिनका आधार शीरे पर न हो) भारतीय पावर एल्कोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित"।"।

आर. वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/88-मंत्रि.]

दीपक वास गुप्ता, संयुक्त सचिव,

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1988

S. O. 670(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety seventh Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)",—

(i) for the entry 5, the following entry shall be substituted, namely:—

"5. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest; as far as these relate to:—

(a) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries, including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture & Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;

(b) Shellac Industry.";

(ii) entry 7 shall be omitted.

(b) under the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" under sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as there relate to Sugar Industry (including development of gur and khandsari).";

(c) after the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest, as far as these relate to :—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infantmilk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Poultry and eggs, Meat and Meat products;

(b) Processing of fish (including canning and freezing);

(c) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry;

(d) Technical assistance and advice to fish processing industry;

(e) Fruit and Vegetable processing industry (including freezing and dehydration); and

(f) Foodgrain milling industry.

2. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).

3. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

4. Specialised packaging for food processing industry.

5. Beer including non-alcoholic beer.

6. Alcoholic drinks from non-molasses base.

7. Aerated waters/soft drinks.";

(d) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)",—

(i) under sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Planning, development and control of and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.";

(ii) under sub-heading "C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)", for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:—

"4. Alcohol—Industrial and potable (excluding Alcoholic drinks from non-molasses base) including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).".

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT,

[F. No. 74/2/1/88-Cab.]
D. DAS GUPTA, Joint Secy. to the Cabinet.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988